राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(44)नविवि/3/2009पार्ट-II जयपुर, दिनांक :- 24 JAN 2019

आदेश

आई.आर.सी व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग का मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित किया हुआ है, जबकि राज्य के विभिन्न शहरों/कस्बो के मास्टर प्लान्स में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों का मार्गाधिकार भिन्न-भिन्न अंकित है। उक्त के अतिरिक्त कुछ शहरों के मास्टर प्लान्स अनुमोदन के समय शहरों मे राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग विद्यमान नही थे किन्तु वर्तमान मे नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग घोषित किये जा चुके है, जिनका मास्टर प्लान्स में मार्गाधिकार निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नही है। साथ ही नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के सहारे-सहारे सड़क मार्गाधिकार के पश्चात रखी जाने वाली वृक्षारोपण पट्टी के प्रावधानों में भी भिन्नता है।

अतः सभी शहरों/कस्बो के मास्टर प्लान्स में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार एवं इसके उपरान्त प्रस्तावित वृक्षारोपण पट्टी की चौड़ाई के संबंध में समरूपता रखने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :-

"राज्य के समस्त शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान्स में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग का मार्गाधिकार आई.आर.सी व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार 200 फीट रखा जावे व 200 फीट सड़क मार्गाधिकार के पश्चात दोनो तरफ 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का भी प्रावधान रखा जावे।"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(भगन लाल योगी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय